-वि.क.प्र.रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 23, 2013/वैशाख 3, 1935
No. 200] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 23, 2013/VAISAKHA 3, 1935

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
## (वाणिज्य विभाग)
## (पूर्ति प्रभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2013

**सा.नि.का.264(अ).**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय (क्षेत्रीय कार्यालय) अवर श्रेणी लिपिक(भर्ती) नियम, 1980 को अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**
   1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्ति और निपटान महानिदेशालय (क्षेत्रीय कार्यालय) अवर श्रेणी लिपिक, भर्ती नियम, 2013 है।
   2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान:-** पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि:** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** :वह व्यक्ति

सेक्तिजिसने ऐसे व्य (क)जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख)जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति -:इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु रियायतों पर सीमा में छूट और अन्य-प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्दीय सरकार द्वारा इस संबंध में समयसमय पर निकाले गए आदेशों के -अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## <u>अनुसूची</u>

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| अवर श्रेणी लिपिक | 221(दो सो इक्कीस ) (2013) * *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण कैंद्रीय सेवा समूह **"ग"** अराजपत्रित/ अनुसचिवीय | वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रू0 ग्रेड वेतन 1,900 | अचयन | आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है<br>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी (जहां कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाती है वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी) |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परि-स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| (i)किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता<br>(ii) मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रतिमिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति या कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रतिमिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति । (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के | जी हां, स्तंभ 10 में उपदर्शित सीमा तक | दो वर्ष | (i) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा<br>(ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां 1800/-रु0 के ग्रेड वेतन में ऐसे समूह "ग" कर्मचारियों में से जिन्होंने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो या जिनके पास समतुल्य अर्हता हो और जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है, विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी । परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है । (अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आयु 50 वर्ष) | जैसा कि स्तंभ 10 में वर्णित है । | समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-<br>1.निदेशक(पूर्ति)-अध्यक्ष<br>2.प्रशासनिक अधिकारी-सदस्य<br>3. केंद्रीय सरकार के अन्य कार्यालय से कोई राजपत्रित अधिकारी - सदस्य | लागू नहीं होता । |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के तत्समान 35 शब्द और 30 शब्द प्रति मिनट ) | | | टिप्पण: यदि खण्ड (ii) के अधीन उपबन्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर अनुवर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके ।<br>(iii) 5 प्रतिशत रिक्तियाँ ज्येष्ठता-सह-उपयुक्ता के आधार पर भरी जा सकेगी जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800 रू. वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है। | | | |

[फा. सं. ए-12018/1/2009/प्रशासन समन्वय]

अजय कुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

**(Department of Commerce)**

(SUPPLY DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th April, 2013

**G.S.R. 264(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate General of Supplies and Disposals (Regional Offices) Departmental Canteen Group "C" and "D" postsecruitment ) Rules, 1980, the President hereby makes the following rules namely:-

1. **Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called the Directorate General of Supplies and Disposals (Regional Offices) Lower Division Clerk, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force from the date of publication in Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Pay band and Grade Pay/Scale of pay .—**The number of post, its classification and the Pay Band and Grade Pay/Scale of Pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualification etc.**-The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification .—** No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Pay Band and Grade Pay/Pay Scale | Whether selection post or non-selection post | Age Limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lower Division Clerk | 221 (two hundred twenty one) (2013)*, *Subject to variation dependent on workload | General Central Service Group "C" Non-gazetted/ Ministerial | Pay Band-1, Rs. 5,200-20,200 Grade Pay-1,900/- | Non-selection | Between 18 and 27 years of age (relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)<br><br>**NOTE** : The crucial date of determining the age limit shall be fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.) |

164l GI/13-2

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees. | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made. | If Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition? | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| (i)12th Class or Equivalent Qualification from a recognized Board or University; (ii) A typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi on manual typewriter; Or A typing speed of 35 words per minutes in English or 30 words per minute in Hindi on Computer (35 words per minutes and 30 words per minutes correspond to 10500 Key Depressions Per Hour/9000 Key Depressions per Hour on an average of 5 key depressions for each word. | Yes to the extent indicated in column. 10 | Two years | (i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission.<br><br>(ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff in the Grade Pay of Rs.1800/- and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the Scheduled Caste or Scheduled Tribes).<br>**Note** : If more of such employees than the number of vacancies available under Clause (ii), qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the consequent years so that the employees qualifying at an | As stated in column.10 | Group 'C' Departmental Promotion Committee Comprising of :-<br>1.Director(S)-Chairman<br>2. Administrative Officer-Member<br>3. A Gazetted Officer from another Central Govt Office-Member | Not applicable |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.<br>(iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group "C" employees who have three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800 | | | |

[F. No. A-12018/1/2009/Admn.Coord ]
AJAY KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054